**आदेश**

दहेज प्रताड़ना निरोधक कानून की धारा 498 ए के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने **CRIMINAL APPEAL NO. 1265 OF 2015 Rajesh Sharma Vs. Sate of UP** में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब दहेज प्रताड़ना के मामले पुलिस के पास न जाकर एक परिवार भलाई कमेटी (सिविल सोसायटी) के पास जाएंगे, जो उस पर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पुलिस देखेगी कि कार्यवाही की जाए या नहीं।

इस विषय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये हैं:-

1 (A) प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक या अधिक परिवार भलाई कमेटी का गठन करेगी जिसमे तीन सदस्य होंगे. इस कमेटी के कार्य की जिला एवं सत्र न्यायाधीश समय-समय पर और कम से कम एक वर्ष में समीक्षा करेंगे।

(B) कमेटी में अर्द्धविधिक स्वयंसेवी/ सामाजिक कार्यकर्ता/ पूर्व कर्मी/ कार्यरत कर्मियों या अन्य नागरिकों की पत्नियां, जो उपयुक्त हों व उचित समझे जाये, सदस्य होंगे।

(C) कमेटी के सदस्यों को गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा।

(D) धारा 498ए के तहत आई प्रत्येक शिकायत पुलिस या मजिस्ट्रेट इस कमेटी के पास भेजेंगे। कमेटी परिवार के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से, फोन, मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से बातचीत करेगी।

(E) इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट एक माह में मजिस्ट्रेट या पुलिस को भेजेगी, (F) इस रिपोर्ट में समिति की उसकी तथ्यात्मक राय होगी।

(G) कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी।

(H) रिपोर्ट पर पुलिस जांच अधिकारी या मजिस्ट्रेट उसके गुणदोष को लेकर विचार करेंगे।

(I) कमेटी के सदस्यों को विधिक सेवा प्राधिकरण समय-समय पर बुनियादी प्रशिक्षण देगा

(J) कमेटी को उचित मेहनताना भी दिया जाएगा।

(K) उनके मेहनताने के लिए जिला एवं सत्र जज जुर्माना राशि से फंड ले सकते हैं।

(II) धारा 498ए के तहत मिली शिकायत पर क्षेत्र के निर्दिष्ट अधिकारी जांच करेंगे। ऐसे अधिकारी को पुलिस एक माह के अंदर नियुक्त करेगी और उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसी ट्रेनिंग 4 महीने की समयावधि में पूर्ण हो जानी चाहिए

(III) समझौता हो चुके मामलों में जिला एवं सत्र जज या उनके द्वारा नामित कोई वरिष्ट जज, उन मामलों में जहाँ सिर्फ ववहाहिक विवाद है, कार्यवाही समाप्त करेंगे।

(IV) यदि एक दिन का स्पस्ट नोटिस देकर जमानत याचिका दाखिल की जाती है तो उसका निपटारा उस्सी दिन किया जाना चाहिए I दहेज़ के सामान की बरामदगी को जमानत

न देने का आधार न बनाया जाये I जमानत याचिका का निपटारा करते वक्त प्रत्येक व्यक्ति का दोष, आरोपों की सचाई, हिरासत की जरुरत और न्याय का सम्मान आदि का ध्यान रखा जाये I

(V) देश से बाहर रह रहे आरोपियों के पासपार्ट जब्त या रेड कॉर्नर नोटिस रूटीन में जारी नहीं किए जाएंगे।

(VI) मामले से जुड़े सभी केस एक ही अदालत में रखे जाएंगे, ताकि जज को इसकी पूरी जानकारी रहे।

(VII) परिवार के सदस्यों को वक्तिगत हाजरी से छुट प्रदान की जाये व उन्हें विडियो कांफेरिर्संग के माध्यम से उपस्थित समझा जाये I

(VIII) सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि उसके ये निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां पीड़ित के शरीर पर चोटों के निशान मिले हों या उसकी मृत्यु हो गई हो।

उपरोक्त आदेशो की द्रढ़ता से पालना सुनिश्चित की जाये I

पुलिस अधीक्षक,
भिवानी